

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

आयोजक क्र. 01/Exam/Loc-Special Edu./RPS/EP-1/2026-27

दिनांक : 22.08.2025

आयोग द्वारा खास शिक्षक शिक्षा के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा विभाग, 2025 के आरक्षण प्रकाशन-विशेष शिक्षा के कुल 121 पदों पर पदों हेतु अधिसूचना आदेश क्र. 01/2025 जारी है। यह आदेश है तथा विभाग में अन्य कुल शिक्षा पदों पर भी की संख्या संबंधित की जा सकती है। जो संख्या एवं वर्ग अधिसूचित पदों की संख्या विस्तृत है -

| कुल पदों की संख्या | Gen. (UR) | | | | S.C. | | | S.T. | | | O.B.C. | | | M.B.C. | | | E.W.S. | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|----|----|------|--------|----|------|------|--------|--------|----|------|--------|----|----|--------|--------|----|----|---|---|---|---|
| | GEN. | GEN.WE | WB | DV | GEN. | GEN.WE | WB | DV | GEN. | GEN.WE | WB | DV | GEN. | GEN.WE | WB | DV | GEN. | GEN.WE | WB | DV | | | | |
| 121 | 33 | 9 | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |

Horizontal Reservation - 1- Ex. Ser. - Gen./UR-2, SC-0, ST-0, OBC-1, MBC-0, EWS-0
 2- P.H. (i) B.V-2 (ii) D, H.H-1, (iii) DA, OR, BE, OAL, CP, LC, DW, AAV, SSSI-I (iv) II A.S.D. (N), S.L.D, M.I & (B) M.H.D. - I

Abbreviations Used: GEN - General, UR - Unreserved, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B.V/Vidua/Low Vision, D-Deaf/TH-Hard of Hearing, OA-One Arm, OAL-One Arm Leg, BA-High Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, LC-Leprosy cured, CP-Cerebral Palsy, DW-dwarfism, AAV-acid attack victim, SSSI- Spinal Deformity (S/D)Spinal Injury (SI) without any associated neurologial/limb dysfunction, ASXND-Autism (spectrum disorder/Moderate), M.I - Mental Illness, S.L.D - Specific Learning Disability, Mul Dis - Multiple Disability, Ex. Ser - Ex. Serviceman, P.H. - Physical Handicapped

नोट -

- आवेदक (A-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2025 के अनुसार जारी एवं विभाग में सही नहीं के लिए अनुसूचित जातियों या, अर्थवर्गीय, अनुसूचित जनजातियों एवं आरक्षण (A-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2025 के अनुसार जारी एवं विभाग में सही नहीं के लिए विरक्त वर्ग और अर्थवर्गीय वर्गों के लिए पदों के लिए एक अनुसूचित अर्थवर्गीय वर्ग होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवेदन पत्रिकाओं को प्रत्यावर्तनीय होने नहीं के लिए अनुरोध किया जाएगा। तीन नहीं वर्गों की समाप्ति के कारण सभी आवेदकों को नई विभागों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी वस्तु यह कि जारी नहीं के वर्गों में सही नहीं के वर्गों है, तो ऐसे वर्गों के जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा वस्तु यह और कि इस उप-विभाग में अधीनस्थ वर्गों के अनुसार विभागों का पद जहां पर आवेदन पत्रिका के अनुसार पदों के आवेदन को प्रत्यावर्तनीय नहीं करेगा और पत्रिका में अधिसूचित पदों पर आवेदन पत्रिकाओं के अनुसूचित जातियों या, अर्थवर्गीय, अनुसूचित जनजातियों, विरक्त वर्गों और अर्थवर्गीय वर्गों के पत्रिकाओं में से नया या संशोधन पत्रिका के लिए पत्रिका प्रत्यावर्तनीय नहीं के प्रत्यक्ष है।
- राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आवेदन पदों हेतु एक दर अनुसूचित अर्थवर्गीय वर्गों होने पर इन पदों की नियतसंख्या सामान्य प्रक्रिया में नये जायेगा।
- किसी वर्ग विभाग में या तो किया या विविध विभाग/विभाग/राज्यस्तरीय स्तरों में से किसी में एक और उपयुक्त अर्थवर्गीय के प्रत्यक्ष न होने की दशा में विभागों को प्रत्यक्ष अंतर-परिवर्तन द्वारा, आवेदन पत्रिकाओं के लिए आवेदन पत्रिकाओं को विविध विभाग/विभाग/राज्यस्तरीय स्तरों में से एक दिशा में (Vice Versa) के लिए आवेदन पत्रिकाओं से भरा जा सकता है। पत्रिका का या विभाग और विविध विभाग/विभाग/राज्यस्तरीय स्तरों के प्रत्यक्ष न होने की दशा में, न पदों पर पत्रिकाओं परीक्षाओं की अन्य पत्रिकाओं द्वारा भरी जायेगी और एक एक अनुसूचित अर्थवर्गीय के प्रत्यक्ष न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवेदन पत्रिकाएं एक पदों के पद अर्थवर्गीय द्वारा भरी जायेगी किन्तु विभागों आवेदन है। नवित अर्थवर्गीय के लिए इस प्रकार आवेदन पत्रिका प्रत्यावर्तनीय वर्गों के लिए आवेदन नहीं की जायेगी। विभागों और विविध विभाग/विभाग/राज्यस्तरीय स्तरों परीक्षा, पत्रिकाओं के लिए प्रत्यक्ष को वर्गों के पत्रिका के लिए प्रत्यक्ष अंतर-परिवर्तन प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष संशोधन के पत्रिका पत्रिकाओं को भी पत्रिका पत्रिका के लिए प्रत्यक्ष अर्थवर्गीय किया जायेगा।
- विभिन्न योगदान/निवृत्तताओं के लिए पदों पर पदों का आवेदन क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थवर्गीय वर्गों का होगा पदों पर पदों के अर्थवर्गीय अर्थवर्गीय किया जायेगा।
- राजस्थान विविध सेवा (मुद्रापूर्व सेवियों का आवेदन) विभाग, 1988 के अनुसार मुद्रापूर्व सेवियों के लिए विभागों का आवेदन सही नहीं में अर्थवर्गीय क्षैतिज (Category-wise-Horizontal) होगा। किसी वर्ग विभाग में एक और उपयुक्त मुद्रापूर्व सेवियों की अनुसूचना की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आवेदन पत्रिकाएं सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विभागों की संख्या संशोधन नहीं के अर्थवर्गीय की जायेगी तथा प्रत्यक्ष, इसी विभागों प्रत्यक्ष को जायेगी।
- राजस्थान विभागों अधिसूचना दिनांक 2018 के अनुसार जारी किया नहीं के नई पदों विभिन्न अनुसूचित वर्गों निवृत्तताओं की अनुसूचनाओं के कारण या किसी अन्य कारण के नहीं नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे विभागों अर्थवर्गीय नहीं के अर्थवर्गीय की जायेगी और यदि अर्थवर्गीय नहीं के नयी अनुसूचित वर्गों निवृत्तताओं प्रत्यक्ष नहीं होगा है, तो ऐसे प्रथम निवृत्तताओं की निवृत्तता दिवस सेवियों में अर्थवर्गीय (Interchange) का भरा जायेगा। यदि एक वर्ग में नयी अनुसूचित प्रत्यक्ष नहीं होगा है तो निवृत्तता एक विभाग को निवृत्तताओं के अर्थवर्गीय अन्य वर्गों में भरा जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अर्थवर्गीय वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं मुद्रापूर्व सेवियों हेतु आवेदन पदों का सन राजस्थान राज्य में मुद्रापूर्व सेवियों को ही पद है। अन्य वर्गों के आवेदकों को प्रत्यक्ष एक नहीं होने के कारण पदों अर्थवर्गीय वर्गों के अर्थवर्गीय ही आवेदन करना होगा। सामान्य अर्थवर्गीय निवृत्तताओं द्वारा C.A No. 1085/2011 में पत्रिका दिनांक 22.08.2018 एवं सामान्य वर्ग निवृत्तता, वस्तु द्वारा O.B.S.A.W. No. 1116/2011 में पत्रिका दिनांक 18.08.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के प्रत्यक्ष अन्य वर्गों की पत्रिका को विभागों राजस्थान राज्य की कुल पत्रिका एक जगह है तो वर्गों public employment में पत्रिका/पत्रिका/अर्थवर्गीय/पत्रिकाओं वर्गों में अर्थवर्गीय का सन नहीं पत्रिका जायेगा। इसीलिए पदों अर्थवर्गीय वर्गों के अर्थवर्गीय ही आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्रिका की अधिसूचना दिनांक 15.03.2018 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही सन्तुष्ट विभागों की पत्रिका पत्रिका पत्रिका अर्थवर्गीय की अर्थवर्गीय का सन देखा होगा।

दिनांक- 01 से 08 तक के प्रकाशन संबंधित वर्गों के आरक्षण पद आवेदन होने की तिथि में ही लागू होगी।

अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यताएं :

(1) (i) Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in one of the following subjects -
 1. English 2. Hindi 3. History 4. Political Science 5. Sociology 6. Music
 AND
 (ii) B.Ed. (Special Education) or B.Ed. with two years Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI).

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan culture.

विशेष शर्त- आवेदनकर्ता को भारतीय दुर्बल परीक्षा (BCT) में भी परीक्षा लिखने से पूर्व स्याई/अस्यई परीक्षा होना तथा निवृत्त से पूर्व स्याई परीक्षा का सन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Note: 1. अभ्यर्थी को वार्षिक शैक्षणिक अंकों (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव न आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिए तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुसूचित शैक्षणिक अंकों ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्यावर्तित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
 2. प्रत्यक्ष एवं नवत सुरुवात के अर्थवर्गीय पर आवेदन करना तथा अंकों नहीं होने पर भी उसे प्रत्यावर्तित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत अर्थवर्गीय अर्थवर्गीय है। ऐसे अभ्यर्थी को भारतीय न्याय संहिता/राजस्थान राज्य के अर्थवर्गीय/राजस्थान राज्य के अर्थवर्गीय पर पद इस पत्रिका के ऑनलाईन आवेदन को प्रत्यावर्तित नहीं करनी वस्तु यह और कि जारी नहीं पत्रिकाओं से विरक्त (Deliber) किया जायेगा।

| | |
|-------------------------------|---|
| शैक्षणिक अंकों संबंधी प्रकाशन | प्रत्यक्ष पदों के आवेदन शैक्षणिक अंकों के अर्थवर्गीय वर्गों की पत्रिका में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, पत्रिका अर्थवर्गीय पर आवेदन करने के लिए भरा होगा, किन्तु उसे आवेदन द्वारा आवेदन पत्रिकाओं परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अंकों अर्थवर्गीय करने का सन प्रस्तुत किया होगा। |
| वेतन का दर | 6-मैट्रिक लेवल 1,42 नोट - वार्षिक वेतन के नियतसंख्या परीक्षाओं में निवृत्त पत्रिका वेतन (Fix Pay) देखा होगा। |
| आयु सीमा | दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के अर्थवर्गीय वर्गों में। यदि प्रत्यक्ष में पत्रिका (EWS-1) विभाग द्वारा जगह सही दिनांक 12.11.2025 के अर्थवर्गीय अर्थवर्गीय (विभिन्न विभागों के अनुसूचित वर्गों पर नहीं प्रत्यक्ष का आवेदन) की जा सकती है, जो अर्थवर्गीय अर्थवर्गीय विभाग के राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा विभाग, 2025 के दिनांक 16 में प्रस्तुत (A) के तहत जारी एवं विभाग में नहीं आवेदन नहीं किने जाने के कारण अर्थवर्गीय में एक अधिकतम 02 वर्षों की वृद्धि इन पदों में लागू नहीं होगी। |

| क्र.सं. | अर्थवर्गीय का वर्ग एवं अन्य विशेष शर्तियां | अधिकतम आयु में वेतन सीमा |
|---------|---|--------------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अर्थवर्गीय वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पत्रिका Male Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State | 5 वर्ष Five Years |
| 2. | राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अर्थवर्गीय वर्गों की पत्रिका | 10 वर्ष Ten Years |

